राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय

एन.एच.-8, बान्दरसिन्दरी, तहसील-किशनगढ़-305817,

जिला – अजमेर (राज.)

Central University of Rajasthan
NH-8, Bandarsindri, Tehsil – Kishangarh – 305817
District – Ajmer (Raj.)

निविदा

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु ईंधन (डीजल/पेट्रोल) आपूर्ति (आश्यकतानुसार)

TENDER

"Supply of Fuel (Diesel/Petrol) FOR CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN"

(As per requirement)

<u>ईंधन (पेट्रोल/डीजल) आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित</u>

निविदा संख्या: *CURAJ/R/F168/2025/1650*	दिनांक: *12.08.2025*
कार्य का नाम	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु ईंधन (पेट्रोल/डीजल) की आपूर्ति (आश्यकतानुसार)
अनुमानित निविदा राशि	रु. 25,00,000/- *(*पच्चीस लाख रूपये मात्र)
निविदा बयाना राशि *(EMD)*	रु. 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) यह राशि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के पक्ष में बांदरसिंदरी / किशनगढ़ में देय डिमांड ड्राफ्ट/फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा की जाए
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	**02.09.2025 अपराह्न 3.00 बजे तक**
तकनीकी निविदा खोलना	**03.09.2025 साँय 4.00 बजे**

<u>विश्वविद्यालय के बारे में</u> :

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय (*NAAC* द्वारा *A++* ग्रेड प्राप्त) एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (*UGC)* द्वारा श्रेणी- । विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। यह विश्वविद्यालय भारतीय संसद के अधिनियम (अधिनियम संख्या *25*, वर्ष *2009)* द्वारा मार्च *2009* में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय का वित्त पोषण भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, इसकी नोडल एजेंसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के माध्यम से किया जाता है।

यह विश्वविद्यालय वर्तमान में इसके स्थायी परिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 08, बांदरसिंदरी से संचालित हो रहा है, जो कि *518+* एकड़ में फैला हुआ हरा-भरा परिसर है। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय *80+* डिप्लोमा / स्नातक / स्नातकोत्तर / पीएच.डी. कार्यक्रम संचालित कर रहा है, और लगभग *3000+* छात्र-छात्राएँ एवं स्टाफ परिसर में निवास कर रहे हैं।

<u>विश्वविद्यालय परिसर</u>:

विश्वविद्यालय परिसर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 08, बांदरसिंदरी में स्थित है (जो कि किशनगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर, अजमेर से लगभग 46 किलोमीटर, जयपुर (राजस्थान) से लगभग 85 किलोमीटर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-8) से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है)।

<u>परिचय एवं कार्य का क्षेत्र</u>:

(i) राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाहनों और केंद्रीय भंडार में (विविध उपयोग) के लिए आवश्यकतानुसार चाही गई मात्रा के आधार पर ईंधन (डीजल/पेट्रोल) की आपूर्ति हेतु पंजीकृत फर्मों / पक्षों / सेवा प्रदाताओं / अधिकृत फिलिंग स्टेशन से निविदा आमंत्रित की जाती है ।

(ii) अनुमानत: वार्षिक 20,000 लीटर पेट्रोल/डीजल की आवश्यकता रहती है ।

परिभाषाएँ:

(i) *"CURAJ"* का तात्पर्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान / राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, बांदरसिंदरी से है।

(ii) "विश्वविद्यालय" का अर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, बांदरसिंदरी से है।

(iii) "निविदाकर्ता / सेवा प्रदाता /अधिकृत फिलिंग स्टेशन" का अर्थ उस व्यक्ति, एकल स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, सीमित कंपनी (प्राइवेट या पब्लिक) अथवा निगम से है जो निविदा प्रक्रिया में भाग लेता है या सेवा प्रदान करता है।

न्यूनतम पात्रता मापदंड:

(i) निविदाकर्ता एक मान्य रूप से पंजीकृत एकल स्वामित्व फर्म / साझेदारी फर्म / लिमिटेड कंपनी या निगम होना चाहिए। संयुक्त उद्यम (*Joint Venture - JV) /* कंसोर्टियम स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(ii) निविदा दाखिल करने वाली फर्म के पास वैध पैन (*PAN)* नंबर होना चाहिए तथा जीएसटी (*GST)* के लिए पंजीकृत होना चाहिए। इससे संबंधित प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ संलग्न करनी अनिवार्य हैं। यदि जीएसटी के लिए अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, तो पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रमाण संलग्न करना होगा, इस शर्त के साथ कि विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) ईंधन आपूर्ति के लिए संबंधित सभी सरकारी लाइसेंस और अनुमति होनी चाहिए।

(iv) गुणवत्ता प्रमाणपत्र (ISO/ अन्य मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र) आवश्यक होनी चाहिए।

(v) निविदाकर्ता की ईंधन आपूर्ति सेवाओं से प्राप्त औसत वार्षिक आय पिछले तीन वित्तीय वर्षों - 2022-2023, 2023-2024, और 2024-2025 में रु. 75,00,000/- से अधिक होनी चाहिए तथा संबंधित प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न किए जाएं ।

(vi) सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम / गैर-सरकारी संगठनों को ईंधन आपूर्ति प्रदान करने का अनुभव: निविदाकर्ता के पास सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (*PSU) /* गैर-सरकारी संगठनों को ईंधन आपूर्ति प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के प्रमाण के रूप में कार्य आदेश / कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र / अन्य उपयुक्त प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।

*(vii)*ईंधन आपूर्ति हेतु अनुभव की न्यूनतम अवधि कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए

बयाना धनराशि (*EMD)* :

(i) निविदाकर्ताओं को रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) की बयाना धनराशि (*Earnest Money Deposit - EMD) "Central University of Rajasthan"* के पक्ष में, बांदरसिंदरी / किशनगढ़ में देय डिमांड ड्राफ्ट / फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा करनी होगी। बिना *EMD* के प्रस्तुत की गई निविदाएं, *GFR* नियम *170* के अनुसार, अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

(ii) *EMD,* अंतिम निविदा वैधता अवधि के परे कम से कम *45 (*पैंतालीस) दिनों तक वैध रहनी चाहिए। *EMD* को डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद के रूप में जमा किया जा सकता है।

(iii) यदि कोई निविदाकर्ता निविदा की वैधता अवधि के भीतर अपनी निविदा को वापस लेता है, उसमें संशोधन करता है, या निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, अथवा यदि सफल निविदाकर्ता निर्धारित अवधि में आवश्यक सुरक्षा राशि (*Performance Security)* प्रदान करने में विफल रहता है, तो उसकी *EMD* जब्त कर ली जाएगी।

(iv) सफल निविदाकर्ता की *EMD,* उसकी सुरक्षा राशि प्राप्त होने के बाद वापस कर दी जाएगी।

<u>निष्पादन सुरक्षा राशि (Performance Guarantee):</u>

(i) विश्वविद्यालय से कार्य आवंटन की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता को अनुबंध मूल्य का 5% अर्थात रु. 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) की निष्पादन सुरक्षा राशि (Performance Guarantee) प्रदान करनी होगी। जो यह डिमांड ड्राफ्ट *(DD)*, फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (*FDR)* के रूप में "*The Central University of Rajasthan"* के पक्ष में या भारत में किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी/पुष्ट बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार्य प्रारूप में 14 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यह सुरक्षा राशि सभी अनुबंधीय दायित्वों की पूर्ति की तिथि के बाद कम से कम 60 दिनों तक वैध रहनी चाहिए।

(ii) यदि ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो यह निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त कर विश्वविद्यालय के खाते में जमा कर दी जाएगी। यदि निविदाकार सभी कार्यों को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर देता है, तो यह राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी, परंतु सभी अनुबंधीय दायित्वों की पूर्ति की तिथि के 60 *(*साठ) दिनों के भीतर ।

(iii) यदि सफल निविदाकर्ता निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है, तो यह निविदा रद्द करने का पर्याप्त आधार होगा और उसकी बयाना राशि (*EMD)* जब्त कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय अगली न्यूनतम मूल्यांकन प्राप्त निविदा को समान दर पर कार्य दे सकता है या नई निविदाएं आमंत्रित कर सकता है।

(iv) यदि सफल निविदाकर्ता कार्य आवंटन के बाद निविदा स्वीकार करने से मना करता है, अपनी बोली वापस लेता है, किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, या सेवा असंतोषजनक रूप से प्रदान करता है, तो उसकी निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।

<u>सामान्य नियम एवं शर्तें:</u>

(i) निविदा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। निविदाकर्ताओं को चेतावनी दी जाती है कि यदि कोई जानकारी अधूरी दी जाती है या जानबूझकर किसी जानकारी को छिपाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी निविदा सीधे निरस्त की जा सकती है।

(ii) नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iii) निविदाकर्ता, यदि आवश्यक समझे, तो अपनी क्षमता को सिद्ध करने के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत कर सकता है, जिससे यह दर्शाया जा सके कि वह निर्धारित कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। हालांकि, निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक या अतिरिक्त जानकारी न दें। निविदा दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने के बाद कोई अतिरिक्त जानकारी / दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जब तक कि उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा विशेष रूप से नहीं मांगा गया हो।

(iv) निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुसार कार्य आदेश प्राप्त होते ही तुरंत ईंधन आपूर्ति कराने की स्थिति में होना चाहिए।

(v) आपूर्ति अवधि: यह निविदा एक वर्ष के लिए होगी और विश्वविद्यालय के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है।

(vi) आपूर्तिकर्ता को समय पर आपूर्ति करनी होगी। विलंब होने पर पेनल्टी लगाई जा सकती है।

*(vii)*ईंधन (डीजल/पेट्रोल) की आपूर्ति केवल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, बांदरसिन्दरी, किशनगढ़ (अजमेर) के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित मांग पर्ची के आधार पर ही करनी है ।

(viii) ईंधन की आपूर्ति के लिए लिखित मांग पर्ची (printed demand slip) आपके द्वारा ही दो प्रतियों में छपवाकर उपलब्ध कराई जावेगी, जिसकी एक मूल-प्रति विश्वविद्यालय के अधिकृत अधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर पेट्रोल पंप को सुपुर्द करने पर ही आप के द्वारा ईंधन की आपूर्ति की जायेगी ।

(ix) आपको ईंधन की आपूर्ति आवश्यकतानुसार किसी भी समय (24x7x365 आधारित) उचित गुणवत्ता और पूरी मात्रा के साथ करनी होगी ।

(x) डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति की दरों का भुगतान, सरकार/पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दरों पर अथवा आपके द्वारा प्रस्तावित दर / छूट के अनुसार किया जावेगा ।

(xi) वाहन के लिए ईंधन तथा केंद्रीय भंडार के लिए आपूर्ति किए ईंधन का बिल अलग-अलग बनाकर कुलसचिव, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से मासिक आधार पर (हर माह आगामी 05 तारीख तक अवश्य) विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

(xii) आपके द्वारा बिल मासिक आधार पर कार्यालय आदेश में निर्धारित छूट (discount) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करवाते समय मूल बिल के साथ विश्वविद्यालय के अधिकृत अधिकारी से हस्ताक्षरित मूल मांग पर्चियाँ व पेट्रोलियम कंपनी द्वारा सत्यापित की हुई ईधन की दैनिक मूल्य-सूची जमा कराया जाना आवश्यक होगा ।

(xiii) आपके द्वारा सभी प्रकार से पूरित बिल तथा आवश्यक दस्तावेज सलंग्न करते हुए कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत 30 कार्य-दिवसों के भीतर बिल का भुगतान सीधे ही आपके बैंक खाते में करवाया जायेगा ।

(xiv) ईंधन आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय के अधिकृत अधिकारी/ समिति किसी भी समय पेट्रोल पंप का की निरीक्षण/जांच कर सकते है ।

(xv) विश्वविद्यालय के किसी वाहन चालक या अन्य कार्मिकों द्वारा कोई लापरवाही/ अनियमितता यदि संज्ञान में आती हो तो इसकी सूचना तुरंत विश्वविद्यालय प्रशासन को देनी होगी ।

(xvi) आगे निविदा विस्तार हेतु विश्वविद्यालय में आपूर्ति किए ईधन की उचित गुणवत्ता और मात्रा संतोषजनक होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विचार किया जा सकेगा ।

(xvii) पेट्रोल पंप द्वारा आपूर्ति किए गए ईंधन की उचित गुणवत्ता और मात्रा के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होने पर निविदा को किसी भी समय रद्द करने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xviii) जब ईंधन की आपूर्ति पेट्रोल पंप द्वारा अपने वाहन से केंद्रीय भंडार (विश्वविद्यालय परिसर) में की जाएगी, अनुमोदित परिवहन खर्च का बिल, आपूर्ति किये ईंधन के मासिक बिल के साथ सलंग्न कर प्रस्तुत करना होगा ।

(xix) निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार, अल्प सूचना पर ईंधन आपूर्ति की व्यवस्था, ढुलाई सहित करने में सक्षम होना चाहिए।

(xx) निविदाकर्ता को भुगतान केवल *NEFT/RTGS* के माध्यम से किया जाएगा, बिल प्रस्तुत करने पर आयकर, *GST*, अन्य कर एवं यदि कोई अर्थदंड हो तो वह संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार स्रोत पर ही काटा जाएगा।

(xxi) यदि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान में विलंब होता है, तो निविदाकर्ता को आर्थिक रूप से इतना सक्षम होना चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों को समय पर भुगतान कर सके तथा कार्य प्रभावित हुए बिना अन्य उपभोग्य सामग्री का खर्च वहन कर सके।

(xxii) विश्वविद्यालय द्वारा ईंधन आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

(xxiii) आयकर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स तथा अन्य कोई भी लागू कर, जो अनुबंध अवधि के दौरान समय-समय पर प्रभावी होंगे, उन्हें भुगतान की राशि से वसूल / काटा जाएगा।

(xxiv) निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके या उसके स्टाफ या उसके नियंत्रण में किसी भी व्यक्ति की लापरवाही के कारण यदि किसी व्यक्ति को चोट / दुर्घटना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, या कोई अन्य हानि होती है, तो उस सभी हानि, क्षति या दावों की पूर्ति विश्वविद्यालय को नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी किसी भी घटना के लिए निविदाकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय को क्षतिपूर्ति करेगा।

(xxv) जो व्यक्ति सरकारी सेवा में या विश्वविद्यालय का कर्मचारी हो, उसे निविदाकर्ता के सीधे या परोक्ष रूप से भागीदार नहीं बनाया जाना चाहिए।

(xxvi) सफल निविदाकर्ता को, यदि उसके कोई रिश्तेदार विश्वविद्यालय में कार्यरत हों, तो उनकी सूची प्रस्तुत करनी होगी। यदि यह पाया जाता है कि निविदाकर्ता ने गलत जानकारी या अन्य अप्रमाणिक तरीकों से अनुबंध प्राप्त किया है, तो विश्वविद्यालय को बिना कोई उत्तरदायित्व लिए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(xxvii) इस अनुबंध के अंतर्गत विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकार या उपायों को प्रभावित किए बिना, यदि सफल निविदाकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो विश्वविद्यालय के पास यह विकल्प होगा कि वह अनुबंध को किसी प्रकार के मुआवजे के बिना समाप्त कर दे, सिवाय इसके कि जो भी लंबित भुगतान / देय राशियाँ हों, वे कानूनी उत्तराधिकारी को दी जा सकती हैं।

(xxviii) विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम ईंधन आपूर्ति लेने की कोई गारंटी नहीं दी जाती। तथा विशेष अवसरों पर विश्वविद्यालय को जितनी आपूर्ति की आवश्यकता होगी निविदाकर्ता को उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

(xxix) निविदाकर्ता की 24x7 टेलीफोन / मोबाइल संपर्क सुविधा उपलब्ध हो, ताकि विश्वविद्यालय / उपयोगकर्ता से समुचित संवाद सुनिश्चित किया जा सके। समन्वय हेतु निविदाकर्ता के जिम्मेदार कार्यालय स्टाफ के पूर्ण संपर्क विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

(xxx) सफल निविदाकर्ता किसी उप- निविदाकर्ता को नहीं लगाएगा और न ही यह अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति / फर्म / एजेंसी को स्थानांतरित (सब-लेट) करेगा। निविदाकर्ता को अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य व्यक्ति / संस्था को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं होगी।

(xxxi) कार्य निष्पादन या रोजगार की स्थिति में उत्पन्न किसी दुर्घटना में वर्कमैन मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। इस संबंध में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

(xxxii) बिल भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

(xxxiii) विश्वविद्यालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर सकता है।

<u>पेनल्टी :</u>

(i) यदि किसी गंभीर अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार (*Serious Misconduct)* की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है और निष्पादन सुरक्षा राशि (*Performance Security)* जब्त कर ली जाएगी या लंबित बिलों में से वसूली की जाएगी, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त समझा जाएगा।

<u>अनुबंध समाप्ति:</u>

(i) विश्वविद्यालय अनुबंध के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय को प्रभावित किए बिना, अनुबंध को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है।

(ii) यदि निविदाकर्ता अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए किसी विस्तारित समय के भीतर सभी ईंधन आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

(iii) यदि किसी भी प्रकार की गंभीर अनुशासनहीनता होती है, तो अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा, बिना कोई सूचना दिए, और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी।

(iv) विश्वविद्यालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, अनुबंध को रद्द कर सकता है।

<u>न्याय क्षेत्र:</u>

(i) इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद केवल राजस्थान उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आएंगे।

घोषणा (UNDERTAKING)

मैं,__________________________________(व्यक्ति का नाम), यह घोषित करता/करती हूँ कि मैं इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ और:-

1. इस आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि किसी भी चरण पर यह पाया गया कि इस आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या हमारी एजेंसी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तो हमारी उम्मीदवारी/पैनल में नामांकन रद्द/समाप्त किया जा सकता है।
2. मैं समझता/समझती हूँ कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए सभी निर्णय अंतिम होंगे।
3. मैं राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा अपने निविदा दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ और मैंने निविदा की सभी शर्तों को समझ लिया है।
4. मैं समझता/समझती हूँ कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नामांकन प्रक्रिया को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा सभी अभिरुचि पत्रों/बोली प्रस्तावों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी कंपनी [.........................] वर्तमान में किसी भी सरकारी विभाग, डोनर एजेंसी, या क्रय प्राधिकरण द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं है और ना ही किसी जांच के अधीन है।

स्थान: ___________________________
तिथि: _________________________________
हस्ताक्षर:_________________________
नाम: _________________________________
पदनाम: _______________________________
बोलीदाता/फर्म की मुहर:____________

डीजल / पेट्रोल आपूर्ति निविदा मूल्य सूची
(केवल प्रति लीटर छूट, परिवहन शुल्क प्रति विज़िट अतिरिक्त)

कंपनी का नाम: ____
टेंडर संख्या: ____
टेंडर का नाम: डीजल / पेट्रोल आपूर्ति टेंडर
प्रस्तुत करने की तिथि: ___ / ___ / ______

मुद्रा (*Currency):* रुपये (*INR)*

क्रम संख्या	ईंधन का प्रकार	प्रति लीटर छूट (रु.)
1	डीजल	
2	पेट्रोल	

परिवहन शुल्क प्रति विज़िट (रु.) ________________________________

□ विशेष शर्तें:

1. डीजल और पेट्रोल की दरें प्रतिदिन *IOC/BPCL/HPCL* या संबंधित पेट्रोलियम कंपनी द्वारा घोषित मूल्यों के अनुसार होंगी।
2. आपूर्तिकर्ता द्वारा केवल प्रति लीटर छूट प्रदान की जाएगी।
3. प्रत्येक विज़िट पर परिवहन शुल्क अलग से देय होगा, जो बिल में स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा।
4. प्रत्येक बिल के साथ उसी दिन की प्रमाणित मूल्य सूची (*Price List),* जो संबंधित पेट्रोलियम कंपनी द्वारा जारी/प्रमाणित हो, अनिवार्य रूप से संलग्न की जाएगी।
5. उक्त निविदा मूल्यसूची अलग से एक सील बंद लिफाफे में जमा करवाना होगा ।

□ घोषणा (*Declaration):*

मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विवरण सत्य है। हम स्वीकार करते हैं कि ईंधन की दरें तेल कंपनी द्वारा घोषित मूल्यों पर आधारित होंगी और केवल प्रति लीटर छूट व परिवहन शुल्क प्रति विज़िट ही हमारे द्वारा दावा किया जाएगा। हम प्रत्येक बिल के साथ सत्यापित दैनिक मूल्य सूची संलग्न करेंगे।

हस्ताक्षर: ____________________________
नाम: ____________________________
पद: ____________________________
कंपनी की मुहर:
तारीख: ___ / ___ / ______

❖ **टेंडर दस्तावेज़ जमा करने की चेकलिस्ट :**

1. **कवर लेटर (आवेदन पत्र)**
   - टेंडर में भाग लेने की इच्छा जताते हुए कंपनी का संक्षिप्त परिचय।
2. **दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट**
   - कौन-कौन से दस्तावेज़ संलग्न किए गए हैं, उनकी सूची।
3. **कंपनी प्रोफ़ाइल**
   - कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र
   - *GST*/पैन/टैक्स प्रमाणपत्र
   - संगठन संरचना
   - लाइसेंस/मान्यता आदि
4. **ब्लैकलिस्ट प्रमाणपत्र (*Blacklist Certificate)***
   - यह प्रमाणपत्र कि आपकी कंपनी किसी भी सरकारी/गैर-सरकारी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं है, नॉटेरी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । (टेंडर की शर्तों के अनुसार)।
5. **टेंडर दस्तावेज़ (भरा हुआ और हस्ताक्षरित)**
   - सभी आवश्यक फॉर्म भरे हुए हों और हस्ताक्षरित हों।
6. **वित्तीय प्रस्ताव / मूल्य सूची (*Price List)***
   - निर्धारित प्रारूप में भरें (निविदा मूल्यसूची अलग से एक सील बंद लिफाफे में जमा करवाना होगा)
7. **पूर्व अनुभव / संदर्भ**
   - पहले किए गए समान कार्यों की सूची और अनुशंसा पत्र।
8. **अन्य आवश्यक दस्तावेज़**
   - बोली सुरक्षा (*Bid Security),*
   - तीन वर्ष की कर जमा रिटर्न की प्रतिलिपि
   - पिछले तीन वित्तीय वर्षों (____ से ____ तक) की बैलेंस शीट।
   - पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लाभ एवं हानि खाते (*Profit & Loss Account)*।

   (ये दस्तावेज़ कंपनी की वित्तीय स्थिरता, आर्थिक स्थिति एवं प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु मांगे गए हैं। बिना इन दस्तावेज़ों के टेंडर में हिस्सा लेना अस्वीकृत माना जाएगा।)

❖ सुझाव:

- सभी जरूरी पन्नों पर हस्ताक्षर और कंपनी की मुहर अवश्य होनी चाहिए।
- हार्ड कॉपी में जमा कर रहे हैं तो साफ-सुथरे फोल्डर में लगाएं।